



डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूर्णा, समस्तीपुर (बिहार) – 848125

कुशल सहायक कर्मचारी पद हेतु
दिनांक, समय और लिखित परीक्षाओं के स्थान
के लिए अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचना

(Ref.: Advertisement No. 03/2019 dated 28th May 2019)

दिनांक: 14 दिसंबर 2020

- यह विभिन्नों के विज्ञापन संख्या 03/2019 दिनांक 28 मई 2019 के अनुसार विस्तार किया गया है, जिसमें सीधे आधार पर भरे जाने वाले कुशल सहायक कर्मचारियों का पद विज्ञापित किया गया था।
- दिनांक, समय और लिखित परीक्षा का आयोजन स्थल।

उपरोक्त पद के लिए लिखित परीक्षा नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी:

कुशल सहायक कर्मचारी	
लिखित परीक्षा की तिथि और रिपोर्टिंग समय	लिखित परीक्षा का स्थान
दिनांक: 27 दिसंबर 2020 रिपोर्टिंग समय: सुबह 08:30 बजे	डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूर्णा, समस्तीपुर (बिहार)

ध्यान दें:

लिखित परीक्षा की तिथि, समय और स्थान परिवर्तन के अधीन है, ऐसी स्थिति में नई तिथि, समय और स्थान केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.rpcau.ac.in) के माध्यम से अधिसूचित किए जाएंगे। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट को नियमित रूप से देखें।

3. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलावा

- सभी आवेदक जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सफलतापूर्वक आवेदन जमा किया है और आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि से पहले अपेक्षित शुल्क का भुगतान किया है, अर्थात्, 29 जून 2019 और योग्यता प्राप्त की है – शारीरिक टेस्ट के चरण 1 में लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया है।
- अभ्यर्थियों की पात्रता विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

- iii. चूंकि योग्यता परीक्षण के पहले दौर में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या असाधारण रूप से बड़ी है, इसलिए, उपरोक्त पैरा 3 (i) में बताए गए सभी आवेदकों को पात्र घोषित किए बिना एवं योग्यता परीक्षण का दूसरा चरण किये बिना उन्हें किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमती दी जाती है। लिखित परीक्षा में बैठने से पहले उम्मीदवार को संबंधित पद के लिए अपनी पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा। अभ्यर्थियों की पात्रता की वैधता पूरी तरह से अभ्यर्थियों के साथ होगी। विज्ञापित मानदंडों के अनुसार पात्रता आवश्यक शर्तों को पूरा करने के अधीन है। लिखित परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने से किसी को भी पद के लिए पात्र बनने का अधिकार नहीं मिलेगा।

4. प्रवेश पत्र

जिन अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक अपना आवेदन जमा किया है और योग्यता परीक्षण के पहले चरण में योग्यता प्राप्त की है, वे अपने प्रवेश पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट अर्थात् www.rpcau.ac.in पर दिए गए लिंक से 15 दिसम्बर 2020 के अपराह्न 05:00 बजे से डाउनलोड कर सकते हैं।

आवश्यक सूचना

अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए केवल एक प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा।

- i. प्रवेश पत्र का प्रिंट लेने के तुरंत बाद, प्रत्येक अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह अपने प्रवेश पत्र में बताए गए सभी विवरणों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करें, अर्थात् उसका /उसके नाम, फोटो, हस्ताक्षर, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, लिखित परीक्षा की तिथि और समय आदि।

किसी भी विसंगति के मामले में, विश्वविद्यालय की सूचना ईमेल recruitment@rpcau.ac.in पर तुरंत लाया जा सकता है।

- ii. यदि किसी कारण से, डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र अभ्यर्थी की तस्वीर से नहीं मिलता है, तो अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपनी स्वयं की सत्यापित नवीनतम फोटो चिपका देनी चाहिए और सबमिट करने के लिए एक समान फोटो भी लिखित परीक्षा की तारीख पर केंद्र अधीक्षक / अन्वेषक के सामने ले जाना होगा।

- iii. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लिखित परीक्षा के दिन किसी भी असुविधा से बचने के लिए परीक्षा केंद्र के स्थल का पहले ही पता लगा लें और यात्रा कर लें।

- iv. प्रवेश पत्र अनंतिम रूप से जारी किया गया है जो पात्रता मानदंड को पूरा करता है। यदि यह पाया जाता है कि प्रक्रिया के किसी भी चरण में असत्य / गलत जानकारी दी गई है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा / परीक्षा के लिए उपस्थित होने और मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने या अंतिम चयन और नियुक्ति के बाद भी खारिज कर दिया जाएगा। स्कूटनी केवल सफल उम्मीदवारों के संबंध में की जाएगी।

- v. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा और किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश पत्र का उपयोग करने की स्थिति में, अभ्यर्थी यह साबित करने के लिए झूठ बोलता है कि उसने किसी प्रतिरूपक की सेवा का उपयोग नहीं किया है।

5. प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में

ऐसे अभ्यर्थी जो तकनीकी समस्याओं के कारण 20 दिसम्बर 2020 तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे इस ईमेल recruitment@rpcau.ac.in पर लिखकर विश्वविद्यालय के संज्ञान में लाएं ताकि लिखित परीक्षा सुचारू रूप से दे सकें।

6. हॉल टिकट / प्रवेश पत्र और पहचान पत्र

अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में केवल प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान प्रमाण की अनुमति होगी। मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / राष्ट्रीयकृत बैंक पास बुक फोटो के साथ।

7. अंतिम चयन प्रक्रिया

योग्यता परीक्षण के दूसरे चरण को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का अंतिम चयन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में प्रदर्शन एवं शैक्षणिक स्कोर के आधार पर किया जाएगा।

ध्यान दें:

लिखित परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर केवल लिखित परीक्षा और शैक्षणिक स्कोर में योग्यता के आधार पर अधिसूचित किया जाएगा, 1: 3 के अनुपात में शीर्ष उम्मीदवारों को क्वालिफाइंगटेस्ट के दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा।

8. लिखित परीक्षा में तिथि का परिवर्तन

परीक्षा हॉल में लिखित परीक्षा / सीट की तारीख में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. टीए / डीए

लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का टीए / डीए स्वीकार्य नहीं होगा। यात्रा और अन्य खर्च उम्मीदवारों को स्वयं वहन करना होगा।

10. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण निर्देश नीचे अनुलग्नक – 1 [पृष्ठ 6 से 10] पर दिए गए हैं। हालांकि, लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने के दौरान उम्मीदवारों द्वारा ध्यान में रखे गए कुछ मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

- i. प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर (OMR) शीट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर (OMR) शीट में सभी प्रविष्टियों को एक काले / नीले रंग की बॉल कलम से सावधानीपूर्वक भरा जाना चाहिए।
- ii. प्रश्नपत्र पुस्तिका में तीन खंडों में 200 बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions) शामिल होंगे जो इस प्रकार हैं :
 - (a) सामान्य ज्ञान जिसमें 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा।
 - (b) भाषा (हिंदी) जिसमें 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होंगे।
 - (c) योग्यता (Aptitude) टेस्ट जिसमें 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा।

प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) या (i), (ii), (iii) और (iv) होंगे जो प्रश्न पुस्तिका में दिए जाएंगे। उम्मीदवार को अपने सही उत्तर के रूप में प्रश्न के अनुरूप विकल्पों में से एक का चयन करना आवश्यक है और सर्कल को डार्क करें अर्थात् (A) या (B) या (C) या (D) जैसा भी हो, उत्तर देने के लिए नीले / काले बॉल प्याइंट कलम से ही भरना है।

चित्र :

Marking the answers			
Correct Method:	Wrong method: Do not mark as shown below:		
For Question No. 10, if the candidate considers the correct answer to be C, he/she has to mark as shown below:	10 <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
10 <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D	10 <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> x <input type="radio"/> D		
	10 <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> c <input type="radio"/> D		
	10 <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> ● <input type="radio"/> D		
	10 <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D		

- iii. आधा भरा, टिक किया हुआ (✓) या क्रास किया हुआ (x) सर्कल गलत उत्तर के रूप में पढ़ा जाएगा। धुँधलेपन से भरे सर्कल को ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- iv. परीक्षा हॉल से निकलने से पहले प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर शीट निरीक्षक को सौंप दी जानी चाहिए।
- v. नकारात्मक अंकन : लिखित परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक होंगे। ऊपर दिए गए बिंदु (ii) में उल्लेखित सही उत्तर के लिए आवंटित अंकों के आधे अंक गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएँगे, उदाहरण के लिए यदि सही उत्तर के लिए दो (02) हैं तो गलत उत्तर के लिए नकारात्मक एक (01) अंक काट लिए जाएँगे।
- vi. एक प्रश्न के लिए एक से ज्यादा काले धेरे गलत उत्तर के रूप में माने जाएंगे। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया (अर्थात्, रिक्त), कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।
- vii. एक बार अभ्यर्थी किसी प्रश्न के उत्तर के रूप में एक गोले को भर देते हैं तो उसके पास इस प्रश्न के उत्तर बदलने मिटा देने का कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए, प्रश्न संख्या के अनुरूप सर्कल को काला करने से पहले, उसे उत्तर की शुद्धता / प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। OMR Sheet पर व्हाइट / करेक्शन फ्लुइड, इरेजर, ब्लेड आदि का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- viii. कोई भी अभ्यर्थी किसी मुद्रित / हस्तालिखित सामग्री, नोट्स, किताबों आदि की नकल करने या उसका उल्लेख करने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ नोट्स का आदान-प्रदान करने या उत्तर देने या किसी अन्य अभ्यर्थी के काम से नकल करने या किसी अन्य अभ्यर्थी को कॉपी करने / कराने की अनुमति देने का प्रयास करता है। किसी भी अन्य व्यक्ति से किसी भी तरीके से मदद करने या पूछने, शब्दों, संकेतों, इशारों, कोडों, और अन्य समान गतिविधियों के माध्यम से संचार करने, परीक्षा में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए उसका / उसके काम का संदर्भ लें, जैसा कि देखा जाएगा इसे परीक्षा में कदाचार माना जाएगा। इसी प्रकार, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के परिसर के भीतर परीक्षा हॉल / कक्ष में या गलियारे / शौचालय में किसी भी व्यक्ति के साथ परामर्श, बात करते हुए, फुसफुसाते हुए पाया गया, नियमों और सेगमेंट के तहत कड़ाई से और दंडित किया जाएगा।

- ix. विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षक / केंद्र अधीक्षक / परीक्षा अधीक्षक के पास परीक्षा हॉल / कक्ष से अभ्यर्थी को निष्कासित करने का पूर्ण अधिकार है यदि उसकी राय में परीक्षा का उत्तर देने के लिए अभ्यर्थी ने अनुचित साधनों का सहारा लिया है या अव्यवस्थित तरीके से व्यवहार करता है। परीक्षा हॉल / कक्ष के आसपास या अधीक्षक या सतर्कता कर्मचारी को उसके कर्तव्यों को पूरा करने या अवैध संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करता है या अनुचित प्रभाव या धमकी देने या परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को धमकी देने या ब्लैकमेल करने का प्रयास करने पर रोक लगाता है। परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले निष्कासित अभ्यर्थी को संस्थान प्रेक्षक / केंद्र अधीक्षक परीक्षा केंद्र के माध्यम से लिखित रूप से संस्थान को अपना विवरण प्रस्तुत करना होगा। गंभीर प्रकृति के इस तरह के किसी भी कदाचार के लिए, अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के नियमों के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई और / या देश के कानूनों और ऐसे अभ्यर्थियों या मामलों के विवरण के तहत अन्य उचित कानूनी कार्रवाई के अधीन होगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपयुक्ता से सूचित किया जाएगा।
11. विवेचन : किसी भी खंड या नियमों के संबंध में किसी भी अस्पष्टता या स्पष्टता की कमी के मामले में, विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

नोट : किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी वाले प्रारूप को ही अधिकारिक माना जाएगा।

ह0 /
उप-कुलसचिव
नियुक्ति शाखा

कुशल सहायक कर्मचारी (एसएसएस) के पोर्ट के लिए लिखित परीक्षा में आने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

1. परिचय

- i. इन निर्देशों में परीक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विवरण हैं, जो उम्मीदवार संबंधित मामलों के बारे में और महत्वपूर्ण निर्देश लेने वाले हैं। ओएमआर शीट्स का मूल्यांकन एक कम्प्यूटरीकृत मशीन द्वारा किया जाएगा। इसलिए, आपको ओएमआर शीट से निपटने के निर्देशों और ओएमआरशीट पर दिए गए उत्तरों को चिह्नित करने की विधि को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
- ii. कृपया ध्यान दें कि चूंकि यह एक प्रतियोगी परीक्षा है, इसलिए आपको नियुक्ति सुरक्षित करने के लिए योग्यता के क्रम में एक उच्च रैंक प्राप्त करना होगा। इसलिए, आपको अपने सबसे अच्छे प्रयासों को परीक्षा में लिखना होगा।

2. सामान्य निर्देश

- i. किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के अलावा किसी अन्य प्रवेश परीक्षा केंद्र में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसे विश्वविद्यालय द्वारा लिखित अनुमति न हो।
- ii. परीक्षा में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले ही अभ्यर्थियों को प्रवेश द्वार पर पूरी तरह से जाँचा जाएगा।
- iii. परीक्षा हॉल / कक्ष में प्रवेश परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की किताबें, कागज या संदर्भ सामग्री लाने की अनुमति नहीं है।
- iv. कोई भी अनधिकृत सामग्री, जैसे कि पुस्तकें, कागज, दस्तावेज, चित्र और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनके साथ संचार (सेल फोन) और / या भंडारण क्षमता जैसे टैबलेट पीसी, लैपटॉप, स्मार्ट घड़ी, पोर्टेबल ऑडियो / वीडियो / गेमिंग डिवाइस आदि परीक्षा केन्द्र में लेकर नहीं आना है।
- v. विश्वविद्यालय कैंपस के अन्दर मोबाइल लेकर नहीं आना है। यदि कोई अभ्यर्थी मोबाइल ले जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा, और उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।
- vi. परीक्षा स्थल / कमरे में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है।
- vii. सभी सामग्री और / या उपकरण जो किसी भी परीक्षा नियमों के उल्लंघन में पाए जाते हैं, को रद्द कर दिया जाएगा।
- viii. विश्वविद्यालय परिसर के भीतर या बाहर किसी भी सामान के नुकसान या क्षति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
- ix. परीक्षा हॉल / कक्ष को परीक्षा की शुरुआत के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खोला जाएगा।
- x. अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें आवंटित किए गए स्थान पर ही बैठना होगा।
- xi. परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- xii. परीक्षा के 30 मिनट पहले और अंतिम 30 मिनट के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को शौचालय में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- xiii. लिखित परीक्षा केंद्र में धूम्रपान या चबाने वाले तंबाकू या शराब का उपयोग सख्त वर्जित है। परीक्षा के दौरान ऐसा करने वाले किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र अधीक्षक / पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षा केंद्र से निष्कासित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। शराब या किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में पाए जाने वाले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल / कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. लिखित परीक्षा के प्रारंभ

- i. अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने के समय इंवेस्टीगेटर द्वारा दिए गए निर्देश प्रश्न पुस्तिका की सील नहीं खोलनी चाहिए।
- ii. अभ्यर्थियों को अपने हॉल टिकट / प्रवेश पत्र और पहचान दस्तावेज को परीक्षा हॉल के शीर्ष दाएं कोने पर स्थित होना चाहिए ताकि उपस्थिति के अंकन के लिए और पहचान के सत्यापन के दौरान उसकी पहचान हो सके।
- iii. प्रश्न पुस्तिका के मिलने के 10 मिनट के भीतर उम्मीदवार, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न पुस्तिका की जांच करेगा कि इसमें सभी पृष्ठ सही क्रम में हैं और कोई पृष्ठ / प्रश्न गायब तो नहीं है। दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका के मामले में, अभ्यर्थी तुरंत दुसरा प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के लिए केंद्र अधीक्षक / पर्यवेक्षकों को सूचित करेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट बाद इस संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- iv. अभ्यर्थी को दिए गए स्थान पर स्पष्ट रूप से प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर शीट पर उसके नाम / रोल नंबर / पोस्ट का नाम लिखना आवश्यक है और उद्देश्य के लिए प्रदान की गई जगह पर उसे अपना हस्ताक्षर करना होगा। अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर शीट के केवल आवश्यक विवरण लिखना होगा। गलत / अवैध विवरण प्रदान करने से आपकी ओएमआर शीट पर विचार नहीं किया जा सकता है।

4. परीक्षा के समय

- i. एक बार जब कोई अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में प्रवेश करता है, तो उसे परीक्षा के अंत तक हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- ii. कोई भी अभ्यर्थी, अधीक्षक / पर्यवेक्षक की अनुमति के बिना अपनी सीट नहीं छोड़ेगा।
- iii. अभ्यर्थियों को मुंह के शब्द या अन्य उम्मीदवारों के साथ संवाद करने की अनुमति नहीं है (इसमें वह समय शामिल है जब प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर शीट एकत्र की जा रही है)। यदि अभ्यर्थी को अन्येषक के साथ संवाद करना आवश्यक है, तो वह अपना हाथ बढ़ाएगा और अन्येषक उसका / उसकी प्रतिपूर्ति के लिए देखेगा।
- iv. अभ्यर्थी उसका / उसकी को अपना रोल नंबर (i) प्रश्न पुस्तिका पर लिखने की आवश्यकता है (ii) अलग से आपूर्ति की गई ओएमआर शीट प्रदान किए गए स्थानों पर अपने हस्ताक्षर करना जरूरी है।
- v. रफ कार्य: प्रश्न पुस्तिका के अंत में उपलब्ध कराई गई प्रश्न पुस्तिका में खाली पृष्ठों का उपयोग केवल रफ कार्य के लिए किया जाना है।
- vi. यदि कोई अभ्यर्थी अपनी कोई भीजानकारी प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट के किसी भी विपरित स्थान के अलावा अन्य हिस्से में कोई विशेष चिह्न लगाता है, जो किसी भी तरह से, अभ्यर्थी की पहचान बता सकता है। ऐसा करने से उत्तर पत्र रद्द कर दिया जाएगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

5. परीक्षा के अंत में

- i. परीक्षा समाप्त होने पर अभ्यर्थी को लिखना बंद करना होगा। अभ्यर्थियों को चुपचाप बैठा रहना है जब प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर उत्तर पत्रक एकत्रित किए जा रहे हों।
- ii. विधिवत भरे गए प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर उत्तर पत्रक के संग्रह के दौरान अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल / कमरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को प्रश्न पुस्तिका और ओएमआरशीट को ठीक से गिनने के लिए इस अवधि के दौरान पर्यवेक्षकों के पास बैठे रहना होगा।

- iii. अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा हॉल / कमरे से तभी बाहर निकलना चाहिए, जब उन्हें परीक्षा समाप्त होने के बाद उनके द्वारा परीक्षा हॉल / कमरे से बाहर जाने का निर्देश दिया जाए। अभ्यर्थियों को तब तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक वे परीक्षा हॉल से बाहर नहीं निकल जायें।
- iv. एक बार परीक्षा खारिज करने के बाद, अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल को जल्दी और चुपचाप छोड़ देना चाहिए और अपने व्यक्तिगत अविश्वास को याद रखना चाहिए।
- v. अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल से उपयोग या अप्रयुक्त किसी भी पेपर को नहीं निकालना चाहिए।
- vi. अभ्यर्थियों को किसी भी संसाधन सामग्री के लिए अक्सर और यादृच्छिक पर जाँचकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों द्वारा परीक्षण आयोजित किया जाएगा, नियमित रूप से और थोड़ी सी भी।
- vii. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी की स्कैन की गई तस्वीर उसकी ऑनलाइन भरी हुई ऑनलाइन फॉर्म या उपस्थिति पत्रक के साथ मिलान की जाएगी। उम्मीदवार और तस्वीरों की पहचान और सत्यापन में किसी भी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में, उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने और आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

6. अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित कार्यों में से किसी भी मामले में अभ्यर्थी का परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा:

प्रासांगिक या अप्रासांगिक संसाधन सामग्री या उसके कब्जे पर या उसके आस-पास या उसके आस-पास पड़े हुए ढीले कागज किसी भी अनधिकृत साधन या उपकरण / दस्तावेज / कागज / सूचना सामग्री या किसी भी संसाधन सामग्री का कब्जा लिखित या मौखिक रूप से या बुकलेट / ओएमआर शीट का आदान-प्रदान करने की सूचना का संचार, परीक्षण अवधि के दौरान और किसी अन्य व्यक्ति से और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी अन्य कदाचार से प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर शीट में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियों में कोई भी परिवर्तन या सुधार लेकिन संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित नहीं किया गया है, टेस्ट के समय किए गए हस्ताक्षर का गैर मिलान जो पहले से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय किया गया था।

तस्वीर के साथ छेड़छाड़ आवेदन पत्र में फोटोग्राफ से मिलता-जुलता चेहरा नहीं होने, आवंटित सीट पर कब्जा नहीं बैठने की व्यवस्था में छेड़छाड़ / परेशान करना Smuggling-out या Smuggling-in प्रश्न पुस्तिका भाग में या पूर्ण, या टेस्ट सामग्री, या टेस्ट से जुड़ी किसी भी संसाधन सामग्री में विश्वविद्यालय के अधिकारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कोई भी प्रयास करना कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, परेशान करने या टेस्ट में गड़बड़ी करने की कोशिश करना प्रश्नों को नोट करना परीक्षा हॉल / परीक्षा केंद्र पर नारे लगाना या अनियंत्रित दृश्य बनाना।

- 7. विश्वविद्यालय के अधिकृत कर्मियों के अलावा किसी को भी परीक्षा स्थल के आसपास जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षण स्थल के आसपास घूमने वाले किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
- 8. प्रश्न / कुंजी के बारे में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी स्थिति में OMR SHEET के किसी भी जांच / पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है।
- 9. परीक्षा हॉल में लिखित परीक्षा / सीट की तारीख में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 10. विश्वविद्यालय किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यानी किसी भी सामग्री की जानकारी, तथ्यों की गलत व्याख्या या उम्मीदवारी के लिए रद्द करना। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के साथ-साथ भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है, इसके अलावा उचित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
- 11. अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे ओएमआर शीट पर किसी भी प्रकार की परत को न मोड़ें या न लगाएं। परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट पर किसी भी तरीके से धब्बा, खरोंच या क्षति के लिए इरेजर, नेल, ब्लेड, व्हाइट प्लूइड / व्हाइटनर आदि का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किसी भी तरह से ओएमआर शीट को नष्ट करने, खरोंचने या क्षति के लिए इरेजर, ब्लेड, नेल या व्हाइट प्लूइड / व्हाइटनर का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी की परीक्षा रद्द कर दी जायेगी।

12. लिखित परीक्षा की निगरानी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले तलाशी करके की जाएगी, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के सीसीटीवी कैमरा और फोटो का उपयोग की जायेगी।
13. यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करता है या किसी प्रकार की अनुशासनहीनता पैदा करता है, तो विश्वविद्यालय निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करेगा और इसके अलावा भविष्य में अभ्यर्थी को परीक्षा में उपस्थित होने से रोक जा सकता है। डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किया जा सकता है।

14 अभ्यर्थी द्वारा कार्य के विरुद्ध दोषी दुराचार पाया जाना

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे किसी विशेष को प्रस्तुत न करें जो कि गलत हैं या आवेदन पत्र भरने में किसी भी सामग्री की जानकारी को दबा दें। अभ्यर्थियों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी मामले में सही या परिवर्तन या अन्यथा किसी दस्तावेज में दर्ज प्रविष्टि के साथ छेड़छाड़ न करें या इसकी सत्यापित / प्रमाणित प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत न की जाए और न ही उन्हें कोई छेड़छाड़ / मनगढ़त दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। यदि दो या अधिक ऐसे दस्तावेजों या उनकी सत्यापित / प्रमाणित प्रतियों के बीच कोई अशुद्धि या कोई विसंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित में से किसी भी कार्य के लिए दोषी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जाएगा:

- किसी भी तरह से उसका / उसकी अभ्यर्थी का समर्थन प्राप्त करना ; या
- नकल करना; या
- किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण को साबित करना;
- गढ़े हुए दस्तावेज या दस्तावेज प्रस्तुत करना, जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है; या
- ऐसे बयान देना जो गलत या असत्य हैं या भौतिक जानकारी को दबा रहे हैं; या
- चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना;
- परीक्षण के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना; या
- अश्लील भाषा या अश्लील मामले सहित अप्रासंगिक मामले को स्क्रिप्ट्स में लिखना; या
- परीक्षा हॉल में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार; या
- उनके परीक्षण के संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कार्यरत कर्मचारियों को परेशान करना या शारीरिक नुकसान पहुंचाना; या
- परीक्षा हॉल / साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन / संचार उपकरण लाना; या
- जैसा कि मामला हो सकता है, करने का प्रयास या, पूर्वगामी उपबंधों में निर्दिष्ट सभी कृत्यों में से किसी एक या विश्वविद्यालय को नूकसान करने के अलावा, स्वयं को आपराधिक अभियोग के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए, उत्तरदायी:
 - विश्वविद्यालय द्वारा अयोग्य घोषित किया जाना जिसके लिए वह अभ्यर्थी है / और / या
 - स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए परीक्षा से वंचित किया जा सकता है:
 - उनके द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से विश्वविद्यालय द्वारा निकाला जा सकता है।
 - यदि वह पहले से ही सरकार के अधीन सेवा में है, तो उचित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

16. विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम निर्णय

पात्रता, स्वीकृति या आवेदनों की अस्वीकृति, गलत सूचना के लिए जुर्माना, चयन का तरीका, परीक्षा का संचालन (परीक्षा), परीक्षा केंद्रों का आवंटन और योग्यता सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा उम्मीदवारों और कोई पूछताछ / पत्राचार इस संबंध में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

17. न्यायालय अधिकार क्षेत्र

किसी भी विवाद के मामले में, इस भर्ती के संबंध में विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र बिहार के न्यायालय में समस्तीपुर और पटना में उच्च न्यायालय में प्रतिबंधित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण

अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में चिन्ह लगाने के बाद किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे (व्हाइटनर का इस्तेमाल किया गया हो यह मान्य नहीं होगा)।

*** समाप्त ***